न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारीः श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पुनर्विलोकन याचिका :: 05/2018 ::

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
अमराराम पुत्र घासीराम जाति कुमावत निवासी निमाज, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) हाल पडासला खुर्द, तह. बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राज.)		1. मदनलाल पुत्र लखाराम 2. चन्दाराम पुत्र हापूजी जातिगण कुमावत निवासगण निमाज, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) 3. सरपंच ग्रम पंचायत निमाज जरिए सरपंच, तहसील जैतारण जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित

अधिवक्ता अप्रार्थी श्री नारायणलाल कुमावत उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 24.07.2018

प्रार्थी द्वारा यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के इस न्यायालय के पंचायत निगरानी संख्या 52/2017 बअनवान अमराराम बनाम मदनलाल में पारित निर्णय 18.01.2018 को पुनर्विलोकित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी बार—बार आवाजे लगवाई गई। अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी श्री अमराराम को भी आवाजे लगवाई। प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। इस कारण प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। बहस अधिवक्ता अप्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र निगरानी संख्या 52/2017 बअनवान अमराराम बनाम मदनलाल इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज की गई कि निगरानी में ग्राम पंचायत निमाज द्वारा प्रस्ताव दिनांक 05.01.1975 की पालना में पट्टा संख्या 5/70 दिनांक 05.01.1975 को जारी किया गया था। उक्त पटटे के संबंध में पूर्व में न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली में भी प्रार्थी अमराराम के पुत्र रामपाल द्वारा एक निगरानी इसी पट्टे को खारिज कराने हेतु न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली में प्रस्तुत की गई थी। जिसकी निगरानी संख्या 103/2012 बअनवान रामपाल बनाम मदनलाल वगैरा थी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 03.05.2016 के द्वारा निगरानी खारिज कर पट्टा बहाल रखा गया था। उसके पश्चात प्रार्थी अमराराम, जो की रामपाल का पिता है, उसने इसी पट्टे की निगरानी पुनः न्यायालय अति. जिला कलक्टर पाली में दिनांक 13.10.2016 को पेश कर दी। जो बाद में क्षैत्राधिकार परिवर्तन होने से इस न्यायालय में अन्तरित हो गई। उक्त निगरानी को इस आधार पर खारिज किया गया कि जैर निगरानी पट्टा इस न्यायालय के समकक्ष न्यायालय अति. जिला कलक्टर पाली द्वारा निर्णय पारित किया जाकर निगरानी खारिज करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख को बहाल रखा गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में उसी पट्टे के संबंध में पुनः विचारण कर निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस न्यायालय मे निगरानी खारिज की गई थी।

पुनर्विलोकन के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के पृथक—पृथक मत है। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1143 नीलकांत व अन्य बनाम उत्तमचन्द व अन्य में यह प्रतिपादित किया कि "नजरसानी की शक्तियों का उपयोग साक्ष्य का पुनः परीक्षण अथवा निर्णय पुनः लिखने हेतु नहीं किया जा सकता है। अभिलेख के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटीयों को ही सही किया जा सकता है।" हस्तगत प्रकरण पर उक्त सिद्धान्त पूर्णतः चस्पा होता है। पुनर्विलोकन की परिधी में प्रकरण को नये सिरे से निर्णित नहीं किया जा सकता है एवं जहां तक संभव हो, रिव्यू की आड में निर्णय में

क्रमशः:2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) के तहत सारहीन पाया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 103/2012 बअनवाल रामपाल बनाम मदनलाल वगैरा निर्णय दिनांक 03.05.2016 के पुनर्विलोकन की अवधि व्यतित हो जाने के पश्चात दिनांक 13.10.2016 को पुनः प्रार्थी के पिता अमराराम द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर पट्टा खारिज कराने का पुनः प्रयास मात्र है। प्रार्थी रामपाल को उसके द्वारा प्रस्तुत निगरानी के निर्णय के पुनर्विलोकन हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में प्रदत समयावधि 90 दिवस में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। नई निगरानी प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली शुमार फैसल की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)